कार्यालय
प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962.230065, फैक्सः 05962.232182ई–मेल *almoraforestdivision@rediffmail.com*

पत्रांक 254 / 12-1(2)अल्मोड़ा दिनांक 15-07-2025

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड,
लो0नि0वि0 रानीखेत।

विषय – **जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 309 ए0 के कि0मी0 171.00 से 206.00 (बेरीनाग–चकोड़ी–काण्डा–बागेश्वर–ताकुला) दो लेन में चौड़ीकरण के संबंध में। (प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/151120/2022)**

संदर्भ– **आपका पत्र सं0 1049/10सी0 दिनांक 30.06.2025।**

उपरोक्त विषयक प्रकरण में अवगत कराना है कि इस कार्यालय द्वारा मलवा निस्तारण हेतु गैर वन भूमि उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में आपसे जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया था, परन्तु आपके द्वारा जिलाधिकारी से प्रदत्त प्रमाण पत्र न उपलब्ध कराते हुए केवल राजस्व उपनिरीक्षक की रिपोर्ट को ही प्रमाण पत्र के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया है, जोकि अमान्य है। आपको दूरभाष से भी स्पष्ट कर दिया गया है कि आप वाछिंत प्रमाण पर जिलाधिकारी महोदय से हस्ताक्षरित कर इस कार्यालय को उपलब्ध करायें, तत्पश्चात ही प्रस्ताव में अग्रेत्तर कार्यवाही की जानी सम्भव हो पायेगी।

अतः उक्त के क्रम में आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप मलवा निस्तारण हेतु अल्मोड़ा जिला अन्तर्गत कोई भी सिविल भूमि उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी से प्रमाण पत्र प्राप्त कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

पत्रांक 254 / 12-1(2) उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।